



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



E-mail

केंद्रीय गवर्नर, पंचम तल, सेक्टर-४, अलीगढ़, लखनऊ-२२६०२४

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimofrko@gmail.com

पत्र सं० ८वी/यू.पी./०६/३४/२०१८/एफ.री.

दिनांक: १२-११-१८

सेवा मे,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन, वायू भवन,  
लखनऊ।

८५८ (८५८)

१४/४/८

**ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/OTHERS/13881/2015**

विषय : अलीगढ़-रायगढ़ पार्स (एगोडीआर०-१०५) किमी० १५.१५० की वांगी पट्टी पर ग्राम- उखलाना के खसरा संख्या-१४७० में एस्सार ऑफिल लिंग द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क पार्स निर्माण हेतु ०.०७६८ हेतु संरक्षित वन भूमि का विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुगति के संबंध में।

सन्दर्भ:-विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक- ६१९/१४-२-२०१७-८००(५६)/२०१७.  
दिनांक- ०३.०८.२०१७

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विपराकित प्रताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-(२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्थीरति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपनस्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न विन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- 1- Area calculation sheet has not been provided.
- 2- Area calculation should be as per guidelines of Ministry of Road Transport Highway (MoRTH).
- 3- CD of Km file is not provided with the proposal.
- 4- Km file uploaded and Geo referenced map do not match.
- 5- Original Toposheet of proposed land and CA land have not been given with the proposal.

भवदीम,

(कौ० कौ० तिवारी)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नौडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, १७ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमाणग्रन्थ, अलीगढ़, उ० प्र०।
3. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑफिल लिंग, ५-५, सेक्टर-३, नोएडा, उ० प्र०।
4. वैयवितक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेयसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(कौ० कौ० तिवारी)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नौडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- २९७३ /अलीगढ़/ 13881/2015, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल २५, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित विन्दुवार सूचना व सुसंगत अभिलेख निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को तीन प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, साठवाठा प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित विन्दुवार सूचना व सुसंगत अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपने वन संरक्षक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑफिल लिंग, ५-५, सेक्टर-३, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नौडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।